

माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

/ 2015-16 निगरानी

R 2113.PBR/16

श्रीमती जान मेरी उर्फ जय मेरी पत्नि  
रिचर्डसन क्रिश्चियन, निवासी- पालक  
नगर प्लाट नंबर 78, भुसावल जिला  
जलगांव (महाराष्ट्र)

— निगरानीकर्ता

— विरुद्ध —

- 1 नटवरलाल पटेल पिता वीरजीलाल पटेल  
निवासी- चौबे कॉलोनी, हरदा तह. व  
जिला हरदा (म.प्र.)
- 2 गारनेट पिता रिचर्डसन क्रिश्चियन,  
निवासी- 12 बंगला के पास शिवम  
वाटिका हरदा तह. व जिला हरदा (म.प्र.)

— प्रत्यर्थागण

अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार महोदय हरदा  
जिला हरदा (म.प्र.) के द्वारा प्रकरण क्रमांक 83  
अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13/06/2016  
से दुखित व क्षुब्ध होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50  
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता :-

*(Signature)*

*श्री. न. देशमुख  
न. प्र. म. 2012  
29.6.16 को प्राप्त  
Om*

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2113-पीबीआर/2016

जिला हरदा

प्राप्त तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

04-07-2016

आवेदिका अधिवक्ता की ओर से ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-6-16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि राजस्व मण्डल के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है और प्रकरण पूर्व में ही साक्ष्य हेतु ग्राह्य किया जा चुका है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है ।



  
(मनोज गोयल)  
अध्यक्ष